- 1 -

453

212

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी
द्वारा आज दि. 4-11-16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-3811-I/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप–जबलपुर

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण /2016 (जिला–सिवनी)

महावती बाई पिता छिदामी जाति गोंड
निवास – ग्राम टिकारी तहसील बरघाट,
जिला सिवनी म0प्र0

------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0

---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 04/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 01–10–2016 से व्यथित होकर ।

04/11/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2– यहकि, आवेदिका द्वारा कलेक्टर, सिवनी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि आवेदिका के नाम ग्राम बोरीकलां प.ह.नं. 07 में स्थित भूमि खसरा नं. 686/15, 686/28 रकबा कमशः 0.02 एवं 0.05 हैक्टर

महावती विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3811-एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
8-11-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 01-10-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका महाबती पत्नि छिदामी गौंड़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम बोरीकलां प.ह. नं. 7 रा.नि.मं. बरघाट तहसील व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 686/15, 686/28 रकबा क्रमशः 0.02 एवं 0.050 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा आवेदकों के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर कि आवेदित भूमि विक्रय करने के उपरांत कोई भूमि आवेदकों के पास शेष नहीं बचेगी तथा विक्रय का कारण पर्याप्त नहीं है अनुमति की अनुशंसा न करते हुए प्रकरण	

निग. 3811-I/16 (विवेकी) महावती विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन को संहिता की धारा 165 के तहत पोषणीय न मानते हुए निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा क्रय की गई भूमि है, शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । आवेदित भूमि निवास स्थान से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है जिससे कृषि कार्य में असुविधा होती है, इसके अतिरिक्त आवेदकों को पारिवारिक व्यवस्था एवं शादी विवाह कार्य हेतु धनराशि की आवश्यकता है । आवेदित भूमि अत्यंत ही कम है जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं जिलाध्यक्ष ने तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया है और ना ही प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के आदेश को आवेदकों के हित में बताते हुए कहा गया कि चूंकि आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं । अतः आवेदक की निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाये । 3/ आवेदिका एवं अनावेदक म0प्र0 शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है अपितु आवेदिका द्वारा क्रय की गई है । आवेदिका आदिम जनजाति की सदस्य है, इस	

महावती विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3811-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदिका के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदित भूमि आवेदकों के निवास स्थान से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है जिससे कृषि कार्य में असुविधा होती है । प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण वास्तविक है । उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदिका को आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-10-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदिका को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम बोरीकलां प.ह.नं. 7 रा.नि.मं. बरघाट तहसील व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 686/15, 686/28 रकबा क्रमशः 0.02 एवं 0.05 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति	

महावती विरूद्ध म0प्र0 शासन

निग0- 3811-I/16 (शिवपुरी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	